निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण 1944 (श0)

(सं0 पटना 564) पटना, बुधवार, 27 जुलाई 2022

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

---

अधिसूचना

25 जुलाई 2022

सं0 प्रेस (शाखा) 490/2021–185/सू0ज0स0वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार राज्य के मीडिया कर्मियों को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन एवं पारिवारिक सम्मान पेंशन देने के निमित्त एवं सम्मान पेंशन को प्राप्त करने हेतु पात्रता, सम्मान पेंशन की राशि, अवधि एवं अन्य शर्तों को विनिश्चित्त करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ** ।– यह नियमावली "बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना (संशोधन) नियमावली–2022" कही जा सकेगी।

(i) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली।– 2019 के नियम–8 (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"उक्त स्क्रीनिंग कमिटी में प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। किसी मीडिया प्रतिनिधि को स्क्रीनिंग कमिटी के नामित सदस्य के रूप में 2 वर्षों के कार्यकाल के उपरांत भी पुनः नामित किया जा सकेगा।"

निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी नामित मीडिया प्रतिनिधि सदस्य को नियत कार्यकाल अवधि (2 वर्ष) के भीतर हटाया जा सकेगा अथवा उनके स्थान पर किसी अन्य को नामित किया जा सकेगा यदि:–

(क) मीडिया प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य पर अनैतिक या असामाजिक या आपराधिक कार्यों में संलग्न रहने का आरोप सिद्ध हो।

(ख) मीडिया प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य के किसी अपराध के लिये सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर।

(ग) मीडिया प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाईडलाइन के विरूद्ध या झूठे एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन कराना प्रमाणित होने पर।

(घ) यदि मीडिया प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य पागल/कार्य करने में असक्षम या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो।

(ङ) मीडिया प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य भारत का नागरिक न हो अथवा भारतीय नागरिकता का परित्याग कर चुका हो।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**अनुपम कुमार,**
**सरकार के सचिव।**

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **564-571+10**-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**